

की क्रम संख्या ए तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>9.10.23</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>जागेश्वर राम, पिता स्व० लोकन राम, ग्राम-खपरियावां, पोस्ट-बनहा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियावां, थाना नं०-119, खाता संख्या-74, प्लॉट संख्या-1360, रकबा-04 डी० भूमि उषा देवी, पिता मनबोध महतो, पति तिलकनाथ महतो, ग्राम-बुकुरु, पोस्ट-चट्टी पेठो, थाना+प्रखण्ड-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-566/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2984/रा०, दिनांक-26.08.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 21(मुख्य) दिनांक 14.09.2023 द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत भूखन कहार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 2.11 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 2.11 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-109/1 पर भूखन कहार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2011-12 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक के दादा है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकबा/आवेदक के हिस्से की भूमि 70.33 डी० है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-66.33 डी० भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाही के बारे टिप्पणी तारीख से
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में जागेश्वर राम, पिता स्व0 लोकन राम, ग्राम-खपरियावां, पोस्ट-बनहा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियावां, थाना नं0-119, खाता संख्या-74, प्लॉट संख्या-1360, रकबा-04 डी0 भूमि उषा देवी, पिता मनबोध महतो, पति तिलकनाथ महतो, ग्राम-बुकरू, पोस्ट-घट्टी पेठे, थाना+प्रखण्ड-कोरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	